न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /30/2025

अरुण कुमार आयु 47 वर्ष पुत्र स्व0 श्री लालाराम जाति जाट निवासी सहयोग नगर भरतपुर तहसील भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर जिला भरतपुर

.......असल रेस्पो.

2–नरेन्द्र कुमार आयु 38 साल पुत्र स्व0 श्री लालाराम जाति जाट निवासी सहयोग नगर, भरतपुर तहसील भरतपुर

3–दुष्यन्त आयु 35 वर्ष पुत्र स्व0 श्री लालाराम जाति जाट निवासी सहयोग नगर भरतपुर तहसील भरतपुर हाल 18 मान सागर विस्तार शिवपुर कॉलोनी चीलगढी रेस्टोरेन्ट के पीछे बुद्धसिंह पुरा सांगानेर जयपर

4–दुर्गेश कुमारी आयु 50 वर्ष पुत्री श्री लालाराम पत्नि श्री सुन्तान सिंह निवासी सेन्ट्रल स्कूल के पीछे सूरज नगर भरतपुर

5–सविता कुमारी आयु 41 वर्ष पुत्री स्व0 श्री लालाराम पत्नी श्री जितेन्द्र चौधरी जाति ज़ाट निवासी मेंहदी बाग, कारौली कुण्ड के पास अलवर राज0

6–चमेली देवी पत्नी स्व0 श्री लालाराम आयु 70 वर्ष जाति जाट निवासी सहयोग नगर भरतपुर

...........तरतीवी रेस्पो.

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 26.8.25 बाबत खारिजी नामान्तकरण खसरा नं. 553/587 रकवा 6 एयर में से 1/2 हिस्सा बाके स्थित ग्रांम टौटपुर

उपस्थितः–

1–श्री विकास शर्मा अभिभाषक, अपीलान्ट,

निर्णय **दिनांक 08.05.2026**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश न्यायालय तहसीलदार भरतपुर दिनांक 26.8.25 पेश की गई है संक्षेप में इस प्रकार है । अपीलान्ट ने नामान्तकरण खुलवाये जाने बाबत आराजी खसरा संख्या 553/587 रकवा 6 एयर में से 1/2 को लेकर एक प्रार्थना पत्र तारीखी 18.8.25 को तहसीलदार भरतपुर के न्यायालय में पेश किया गया। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को तहत न्यायालय ने वास्ते जांच हेतु हल्का पटवारी को प्रेषित कर दिया गया। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में नामान्तकरण किया जाना सम्भव नहीं है

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अंकित करते हुये तहसीलदार भरतपुर को भेजा गया है। तहसीलदार भरतपुर ने मुताबिक रिपोर्ट पर अपने काउन्टर हस्ताक्षर कर दिये ओर प्रार्थना पत्र को अपीलान्ट को वापिस लोटा दिया गया। इसके विरुद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी की गई। रेस्पो0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने अपील मीमो में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी पर विरासत का नामान्तकरण खोले जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार को दिया गया था। विवादित आराजी फर्म के नाम दर्ज होने से अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण खोलने से मना कर दिया गया। योग्य अभिभाषक ने बताया कि विवादित आराजी मृतक लालाराम ने अपना कारोबार करने हेतु उमाशंकर इन्जीनियर वर्क्स जरिये लालाराम नाम से खरीद की गई थी। विवादित आराजी पर आज भी उमाशंकर इन्जीनियर वर्क्स जरिये लालाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। लालाराम का दिनांक 26.3.1995 को देहान्त हो गया है। अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पो0 मृतक लालाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं। हल्का पटवारी ने विवादित आराजी फर्म के नाम दर्ज रिकार्ड होने से नामान्तकरण दर्ज किया जाना सम्भंव नहीं है बताते हुये प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया जो नियमों के खिलाफ है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विरासत का नामान्तकरण खोले जाने के आदेश दिये जावे।

पैरोकार सरकार का कहना है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में उमाशंकर इन्जीनियर वर्क्स जरिये लालाराम के नाम से दर्ज है, उनका कथन है कि विवादित आराजी उमाशंकर इन्जीनियर वर्क्स के नाम से दर्ज होने से स्व. लालाराम का विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सकता है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र एवं उसकी पुश्त पर अंकित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट इस प्रकार है :–

........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /30/2025

अरूण कुमार बनाम राज0 सरकार वगै0

".........ग्रांम टोंटपुर के खाता संख्या 8 खसरा नम्बर 553/587 रकवा 0.06 हे0 में उमाशंकर इंजीनियरिग वर्क्स जरिये लालाराम पुत्र बिहारी सिंह जाति जाट सा0 सैह तहसील कुम्हेर दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अरुण कुमार पुत्र लालाराम द्वारा विरासत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु आवेदन किया है जो एक फर्म के नाम दर्ज रिकार्ड है अतः नामा0 किया जाना संभव नहीं है....." तहसीलदार ने रिपोर्ट को सही ठहराया है।

प्रार्थना पत्र रिपोर्ट पटवारी एवं राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी उमाशंकर इंजीनियरिग वर्क्स जरिये लालाराम पुत्र बिहारी सिंह यानि एक फर्म के नाम दर्ज है। अपीलान्ट फर्म के दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं। विवादित आराजी एक फर्म के नाम दर्ज है जिस पर Terms and condition के अभाव में नामान्तकरण नहीं खोला जा सकता है। फर्म के नाम की जमीन विरासत के आधार पर ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। तहसीलदार भरतपुर द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सही खारिज किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनाक 8.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर